दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 57* ❑ *अंक-10* ❑ *दिल्ली* ❑ *मार्च, 2019 (प्रथम)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

भारतीय दलित साहित्य अकादमी, कर्नाटक का तीसरा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न

गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देना भारतीय संविधान का उल्लंघन

-डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

भारतीय दलित साहित्य अकादमी, कर्नाटक प्रदेश का तीसरा प्रादेशिक सम्मेलन मैसूर के रानी बहादुर सभागार में 9 फरवरी, 2019 को सम्पन्न हो गया। अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे जिन्होंने भगवान बुद्ध, बाबा साहब डा. अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम और महाराजा वडियार के चित्रों पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारम्भ किया।

इससे पूर्व निद्ममिधी मठ, मानव धर्मपीठ के श्री वीरभद्र चन्नामलिया महास्वामी जी ने सम्मेलन की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया और आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन की आवाज केन्द्रीय सरकार तक जरूर पहुंचेगी ताकि वह संविधान की रक्षा के साथ–साथ दलित, शोषित, उपेक्षित और पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको मानवीय अधिकार देने की पहल करेगी।

इस सम्मेलन में सेमिनार का मुख्य विषय था–**''भारतीय संविधान : सामाजिक न्याय तथा सामूहिक जिम्मेदारियां।''**

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस नेशनल सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय संविधान बाबा साहब डा. अम्बेडकर का प्रतिरूप है, उनकी आत्मा इस संविधान में आत्मसात है। उन्होंने भारतीय संविधान को लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपते हुए कहा था कि इसका अच्छा व बुरा होना इसके कार्यान्वन पर निर्भर करेगा। अगर अच्छे लोग इस पर कार्यान्वयन करेंगे तो यह संविधान उनके लिए अच्छा संविधान साबित होगा, पर अगर गलत लोगों के हाथों यह संविधान लागू होगा, तो यह संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, इसे बुरा संविधान के रूप में ही देखा जा सकेगा।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वारा निर्मित यह भारतीय संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है जो लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है और इसे इसकी उद्देशिकाओं के तहत भारत के लोगों को अंगीकृत किया गया है। हमारा भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समता, बन्धुता के साथ–साथ सुरक्षा, सामाजिक न्याय, धार्मिक आस्था का अधिकार भी देता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, समता और बन्धुता के मौलिक अधिकार पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। ये तीनों एक–दूसरे पर आधारित हैं। अगर हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर समता का अधिकार नहीं है तो ऐसी स्वतंत्रता सामाजिक समता के बिना बेमानी है। अगर हमें स्वतंत्रता मिल गई है, सामाजिक समता मिल गई है पर पारस्परिक बन्धुता व सौहार्दता प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्वतंत्रता व समता बेमायने है। इसीलिए भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समता व बन्धुता के मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, सामाजिक न्याय की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

डा. सुमनाक्षर ने कहा कि भारतीय संविधान में काफी लचीलापन है जिसमें देश और समाज की आवश्यकतानुसार संसद की सहमति से संशोधन किये जा सकते हैं। अब तक भारतीय संविधान में 102 संशोधन किये जा चुके हैं। और अब वर्तमान नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बिना संविधान की शक्ति और सीमा का ख्याल किये 103वां संशोधन कर दिया है जिसके अन्तर्गत आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान कर दिया गया है जो भारतीय संविधान की धारा 46 के साथ–साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है जिसने आरक्षण रेखा की सीमा 50 फीसदी तय कर रखी है। यह संविधान का उल्लंघन सवर्णों के वोट थोक में पाने के लिए भाजपा सरकार ने किया है, जो असंवैधानिक और अनुचित है। मैं समझता हूं कि इस सेमिनार में आये विद्वानगण इस पर विस्तार से विचार करेंगे कि वर्तमान सरकार का यह कुकृत्य अक्षम्य है और देश के दलित, शोषित व पिछड़े लोगों के सामाजिक व शैक्षणिक अधिकारों पर कुठाराघात है।

डा. सुमनाक्षर ने कहा कि सरकार ने अब मान लिया है कि देश में सवर्ण 10 फीसदी हैं और दलित, आदिवासी और पिछड़े 90 फीसदी हैं। वह पहले

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

पुलवामा की लपटें

14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने भारतीय सेना के काफिले पर उस समय हमला बोल दिया जब हमारे 2500 के लगभग जवान अपनी छुट्टियां बीता कर जम्मू से श्रीनगर ट्रक व बसों में जा रहे थे। उसी समय पुलवामा के पास आतंकवादियों ने बारूद व विस्फोटक पदार्थों से लेस एक वाहन को भारतीय सैनिकों के काफिले के ट्रक से टकरा दिया। अकस्मात हुए इस विस्फोटक में सी.आर.पी.एफ. के भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गये और सैकड़ों सैनिक घायल हो गये।

पुनवामा आतंकवादी हमले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को आगे की कार्रवाई, समय, स्थान और स्वरूप तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसके गुनाहगारों को उनके किये की सजा जरूर मिलेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस कायराना हमले से हमारे दिल को चोट पहुंची है। हमारी पूरी शक्ति आपके साथ है। इस घटना पर मैं सरकार का समर्थन करता हूं। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है। हिन्दुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। उनको मालूम होना चाहिए कि यह देश इन चीजों को भुलता नहीं है। यह समय दुखद है और इस घड़ी में हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि आतंकवाद ऐसी विपत्ति है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। शहीदों की सूची में हिन्दू का नाम भी है और मुसलमान का भी। इसमें कथित ऊंची जाति के लोग भी हैं और पिछड़ी जाति के भी, लेकिन आज तिरंगे में लिपट कर ये सब सिर्फ भारतवासी हैं। आतंकवादियों की ओर से यह कायराना हमला एक ऐसे समय पर हुआ जब भारत में आम चुनाव घोषित होने वाले हैं। पक्ष–विपक्ष अपना दमखम दिखाने में जुटा है। ऐसे अवसर पर दहशतगर्दों का मकसद ही होता है ऐसे खौफनाक तरीकों से देश को बेपटरी करना। महाशोक की इस घड़ी में पूरे देश ने एकजुट होकर इन दहशतगर्दों को जवाब दे दिया है। यही नहीं, अपने शहीदों की शहादत को सिरमाथे पर लेते हुए समूचे देश में इस घटना में शहीद हुए अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें और उनके समस्त परिवार को भरपूर प्यार व सम्मान दिया है। शहीद हुए जवान के परिवारों ने भी उनकी शहादत को भरपूर सम्मान देते हुए इस कायराना हमले का बदला लेने के लिए स्वयं सेना में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की है। आज पूरा देश शोक में है पर व्यथित हुआ प्रत्येक भारतवासी इस बात से दुःखी है कि हमारे जवानों को सामने से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उसने पीछे से हमला करके अपने आतंकवादी कुकृत्यों को दर्शा दिया है। भारत इसके सामने न झुकेगा और न टूटेगा। यहां का बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी अपनी सेना की कदर करते हुए स्वयं सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं।

आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली है जिसकी पाकिस्तान में साजिश रची गई थी, पर फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भारत से सबूत मांगना लोगों को 'गुमराह' करना है। भारत सरकार ने कठोर शब्दों में इमरान खान के बयान को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जैश–ए–मोहम्मद के मसूद अजहर और उस आतंकवादी के दावे का नजरंदाज कर दिया, जिसने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया।

यह पहला अवसर नहीं है जब भारत पर पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किये हमले पर पाकिस्तान ने सबूत नहीं मांगा हो, पर हर बार समुचित सबूत उसे देने के बावजूद वह उन सबूतों को लेकर चुप बैठ गया और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में चुनी सरकार होते हुए भी वहां लोकतंत्र नहीं है। वहां की हर सरकार को पाकिस्तानी फौज के सरगनाओं के इशारे पर चलना होता है और वही

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

आजादी का मतलब–जिम्मेदारी

• निरंकार सिंह

एक राष्ट्र के रूप में हमने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया है। हमने जिस संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया हे, उसे जनता द्वारा जनता का शासन कहा गया है। पर लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में जनता पर जनता का शासन नहीं है। जनता स्वयं कभी शासन नहीं कर पाती। लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता का नेतृत्व करने का सुयोग हर व्यक्ति को मिल सकता है। पश्चिम में लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है, उसमें विचारों की विभिन्नता और उसके आधार पर नेताओं की विविधता के लिए पर्याप्त अवसर हैं। इस विभिन्नता और विविधता के बीच से ही जनता अपनी रुचि के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इस दृष्टि से लोकतंत्र की परिभाषा इन शब्दों से नहीं की जा सकती है कि सरकार को पदारूढ़ और पद से हटाने की क्षमता जनता के पास है।

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्गदर्शक हमारा संविधान है। इस संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नागरिक का यह कर्तव्य भी है कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

देश की रक्षा करने का मतलब केवल सीमाओं पर लड़ना ही नहीं है। जो भी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन और निवर्हन कर रहा है, वह देश की रक्षा ही कर रहा है। जो पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स चुका रहा है, वह देश सेवा ही है। जो सरकारी सेवा में है और निष्ठा के साथ दायित्व निभा रहा है, जो जज है और सही फैसले दे रहा है, जो सांसद, विधायक या ग्राम सभाओं, पंचायतों, जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यदि बिना किसी भेदभाव के व धन को बर्बाद किए या कमीशन लिए–दिए बगैर जनता की सेवा कर रहे हैं, या जो व्यापारी, किसान, पेशेवर, शिक्षक, मजदूर किसी भी वर्ग के हों, यदि अपने क्षेत्र में बिना किसी नोच–खसोट के या कामचोरी किए अपनी जिम्मेदारी का आधा हिस्सा है, जो शेष आधा हिस्सा है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और वह आधा हिस्सा है ऐसी व्यवस्थाएं चुनना, ऐसे लोगों को चुनना या ऐसे लोगों को चुने जाने का माहौल बनाना जो हमारे दिए गए करों के एक भी पैसे का दुरुपयोग न तो करें और न ही होने दें। इसके साथ ही किसी भी जाति, धर्म, समूह, आर्थिक स्थिति, भाषा, प्रदेश, क्षेत्र, लिंग, अवस्था के बारे में अभद्र, असम्मानजनक, अमर्यादित या चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी करना या अपमान करना संविधान की इस मूल भावना के विपरीत है। ऐसी टिप्पणियों पर संविधान के उल्लंघन का दोषी होने के अपराध में कार्रवाई हो सकती है।

दरअसल लोकतंत्र का मतलब उसकी विभिन्न लोकतंत्रात्मक संस्थाएं ही नहीं हैं। वास्तव में इसकी भावना का समावेश जनजीवन में होना चाहिए। यह जीवन की एक प्रणाली है। लोकतंत्र की चरितार्थता प्रातिनिधिक विधान–सभाओं अथवा निर्वाचित सरकारों में नहीं, वरन लोगों के स्वेच्छाप्रेरित सहयोगात्मक कार्यों में है, जिससे वे मिल–जुल कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने हितों का समाधान करते हैं और अपनी व्यवस्था का संचालन करते हैं। लोकतंत्र तभी सफल समझा जा सकता है जब लोग स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। जिन लोगों ने अध्यवसाय और प्रेरणाशक्ति का परिचय दिया है, उनके देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था सफल रही है। लोकतंत्र से स्पष्ट अभिप्राय सामाजिक–आर्थिक न्याय, अवसर की समानता, औद्योगिक लोक व्यवस्था के साथ–साथ उन सभी बातों से ही है जिन्हें हम राजनीति लोकतंत्र के नाम से जानते–मानते हैं। और यदि इस लक्ष्य तक पहुंचा सकने में समाजवाद या साम्यवाद विफल हुए हैं तो उस दिशा में प्रयास जारी रखना नितांत आवश्यक जाने से ही जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी, यह मानना भूल होगी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न जाति वाले भी परस्पर जाति भेद तो मानते ही हैं।

दरअसल भारतीयों में जिस गुण का अभाव पाया जाता है, वह अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण भावना की कमी है। यह गुण चीन के लोगों में प्रचुर मात्रा में है। इसीलिए चीन में अपनी बहुत अधिक आबादी के बावजूद क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने विकसित देशों को उलझन में डाल दिया है। दुर्भाग्य से हमारे यहां देश में आजादी तो है, लेकिन जिम्मेदारी और व्यवस्था की भावना नहीं है। हम लोग जो मन में आया उसे करने की आजादी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। हमारा यह गैर–जिम्मेदाराना प्रदर्शन हमारे रोजमर्रा के कामों में भी साफ दिखाई देता है। इसी कारण हमारी सड़कों पर अराजकता दिखाई देती है। लोग बाएं–दाएं का ख्याल किए बिना उलटा–सीधा चलने में संकोच नहीं करते हैं। लोग अपने आसपास के परिवेश को गंदा रखते हैं और सोचते हैं कि सफाई का कार्य तो सरकार का है। बिना किसी हिचक के और यह

जब मुट्ठीभर महार सैनिकों ने पाकिस्तान को युद्ध में परास्त किया था

पाकिस्तान का रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीश खान ने अपनी पुस्तक–'क्राईसिस ऑफ लीडरशिप' में लिखा है कि, भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग होते हुए भी, भारतीय सेना महारों के शौर्य से अंजान ही रही क्योंकि 'घर की मुर्गी दाल बराबर'। भारतीय सेना को महारों की वीरता से कभी सीधा वास्ता नहीं पड़ा था। दुश्मनों को पड़ा था और उन्होंने इनकी शौर्य गाथाएं भी लिखी। स्वयं पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीश खान ने अपनी पुस्तक 'क्राईसिस ऑफ लीडरशिप' के पृष्ठ 25० पर, महारों के साथ हुई अपनी 1971 की मुठभेड़ पर वह लिखते हैं कि, हमारी हार का मुख्य कारण था, हमारा महारों से आमने सामने युद्ध करना। हम उनके आगे कुछ भी करने में असमर्थ थे। महार सैनिक बहुत बहादुर हैं और उनमें शहीद होने का एक विशेष जज्बा, एक महत्वाकांक्षा है। वे अत्यंत बहादुरी से लड़ते हैं और उनमें सामर्थ्य है कि अपने से कई गुना संख्या में अधिक सेना को भी वे परास्त कर सकते हैं। वे आगे लिखते हैं कि '3 दिसम्बर, 1971 को हमने अपनी पूर्ण क्षमता और दिलेरी के साथ अपने इन्फैंट्री ब्रिगेड के साथ भारतीय सेना पर हुसैनीवाला के समीप आक्रमण किया। हमारी इस ब्रिगेड में पाकिस्तान की लड़ाकू बलूच रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट भी थीं। और कुछ ही क्षणों में हमने भारतीय सेना के पांव उखाड़ दिए और उन्हें काफी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी महत्वपूर्ण सुरक्षा चौकियां अब हमारे कब्जे में थीं। भारतीय सेना बड़ी तेजी से पीछे हट रही थी और पाकिस्तान सेना अत्यंत उत्साह के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हमारी सेना अब कौसरे–हिंद पोस्ट के समीप पहुंच चुकी थी। भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी वहां उस पोस्ट की सुरक्षा के लिए तैनात थी और इस टुकड़ी के सैनिक महार बटालियन से संबंधित थे। एक छोटी सी गिनती वाली महार बटालियन ने लोहे की दीवार बनकर हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने हम पर भूखे शेरों की तरह और बाज की तेजी से आक्रमण किया। ये सभी सैनिक महार थे। यहां एक आमने– सामने की, आर–पार की, सैनिक से सैनिक की लड़ाई हुई। इस आस–पार की लड़ाई में महार सैनिक इतनी बेमिसाल बहादुरी से लड़े कि हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी सभी आशाएं धूमिल हो उठीं, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस जंग में बलूच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाब हुसैन शहादत को प्राप्त हुए थे। उनके साथ ही मेजर मोहम्मद जईफ और कप्तान आरिफ अलीम भी अल्लाह को प्यारे हुए थे।

उन अन्य पाकिस्तानी सैनिकों की गिनती कर पाना मुश्किल था जो इस जंग में शहीद हुए। हम आश्चर्यचकित थे मुट्ठीभर महारों के साहस और उनकी इस बेमिसाल बहादुरी पर। जब हमने इस तीन मंजिला कंक्रीट की बनी पोस्ट पर कब्जा किया, तो महार इसकी छत पर चले गये, जमकर हमारा विरोध करते रहे। हमसे लोहा लेते रहे। सारी रात वे हम पर फायरिंग करते रहे और सारी रात वे अपने उद्घोष, जयकारों से आकाश गुंजायमान करते रहे। इन महार सैनिकों ने अपना प्रतिरोध अगले दिन तक जारी रखा, जब तक कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने इसे चारों ओर से नहीं घेर लिया और इस सुरक्षा पोस्ट को गोलों से न उड़ा डाला। वे सभी मुट्ठी भर महार सैनिक इस जंग में हमारा मुकाबला करते हुए शहीद हो गये, परन्तु तभी अन्य महार सैनिकों ने तोपखाने की मदद से हमारे टैंकों को नष्ट कर दिया। बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए, इन महार सैनिकों ने मोर्चे में अपनी बढ़त कायम रखी और इस तरह हमारी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। 'अफसोस! इन मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हमारे इस महान विजय अभियान को हार में बदल डाला, हमारे विश्वास और हौंसले को चकनाचूर करके रख डाला। ऐसा ही हमारे साथ ढाका (बंगलादेश) में भी हुआ था।

जस्सूर की लड़ाई में महारों ने पाकिस्तानी सेना से इतनी बहादुरी से प्रतिरोध किया कि हमारी रीढ़ ही तोड़ कर रखी दी, हमारे पैर उखाड़ दिए। यह हमारी हार का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण था। महारों का शहीदों के प्रति प्यार और सुरक्षा के लिए मौत का उपहास तथा देश के लिए सम्मान, उनकी विजय का एकमात्र कारण था।

•

(साभार : दि बुद्धिस्ट टाईम्स)

है। जात–पांत और छुआछूत जैसी सामाजिक प्रणालियां एवं मानसिक प्रवृत्तियां भी लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जिस समाज में लोग जातिगत आधार पर ऊंच–नीच और अछूत समझे जाते हों, उसमें लोकतंत्र नहीं चल सकता। यह दूसरी बात है कि हर व्यक्ति की योग्यता और क्षमता जन्म से ही भिन्न होती है, किंतु इसकी ऊहापोह प्राणि–शास्त्र का विषय भले हो, जातिवाद से इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले प्रत्येक भारतीय विचारक को यह समझ लेना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र के सबसे प्रबल शत्रु जातिवाद और अस्पृश्यता ही है। इसके साथ ही यह भी समझ लेने की बात है कि लोकतंत्र के इन प्रबल शत्रुओं को राजनीति के हथियारों से ही नहीं, वरन शिक्षा और विवेक के शस्त्रों से दलित और पिछड़े वर्गों की सामाजिक अवस्था भी उन्नत हो सकती है। परंतु इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सोचे–विचारे कि उनके ये कार्य राष्ट्रीय कल्याण और स्वास्थ्य के लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में बाधा बनते हैं।

कभी–कभी तो किसी भी बात पर लोग इतना उग्र हो जाते हैं कि अपना विरोध जताने के लिए अपनी ही सार्वजनिक संपत्ति (बस, ट्रेन और इमारतों) को आग लगा देते हैं जो उनके ही दिए गए करों से खरीदी और बनाई गई है। इसलिए जब तक हमारे भीतर अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं पैदा होगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। आज एक बार पुनः भारत ऐसी ही पतनावस्था से उबर रहा है। इसलिए भावी भारत के निर्माताओं का यह कर्तव्य है कि वे उन स्रोतों का पता लगाएं, जो शाश्वत भारतीय जन–जीवन को गतिशील बनाए रखने में समर्थ है। आज जिस पद्धति का हम विधान करने चले हैं, उसकी संगति निश्चय ही भारत की शाश्वत भावना और अखंड परंपरा से बैठानी चाहिए। •

सम्पादकीय का शेष...पुलवामा की लपटें

पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को पालती है। वह आतंकवादियों की सैरगाह है, सरपरस्त है और आतंकवादियों को हमला करने की ट्रेनिंग देती है, हथियार जुटाती है और उनके खान–पान और ऐशो–आराम का बन्दोबस्त करती है। भारतीय सेना द्वारा कश्मीर घाटी में मारे गये दहशतगर्दों की तलाशी से यह सब साबित हो चुका है।

हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपना विकास ओर खुशहाली करने की जगह भारत के विकास, खुशहाली, सुदृढ़ता, सम्पन्नता को अवरुद्ध करने के लिए कश्मीर घाटी को लेकर साजिश रचता रहा है। दोनों देश 1947 में स्वतंत्र हुए। सभी रजवाड़े भारत में विलीन हो गये, पर जम्मू–कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने अपने राज्य को भारत में मिलाने का पत्र लिखा। भारत ने कश्मीर को भारत में मिलाने की कार्रवाई की, पर वहां के कुछ आतंकवादी राजनेता इससे सहमत नहीं थे। इसलिए शुरू से पाकिस्तान का सहयोग करने लगे। बस तभी से कश्मीर घाटी हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बीच लड़ाई का मुद्दा बनता आ रहा, हालांकि पाकिस्तान 1965 व 1971 के भारत–पाक युद्ध में पाकिस्तान मार खा चुका है, पर फिर भी पाकिस्तान चुप बैठने को तैयार नहीं है। उसने आतंकवादी पाल रखे हैं जिनके द्वारा वह समय–समय पर भारत पर हमला कराता रहता है।

भारत की संसद भवन पर हमला, मुम्बई में होटल पर हमला, पठानकोट के हवाई अड्डे पर हमला, कारगिल पर हमला और अब पुलवामा में पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकवादी सरगनों का हाथ होना साबित हो चुका है। सभी हमलों के सबूत भारत पाकिस्तान को सौंप चुका है, जिन्हें वह सरासर नकारता रहा है जबकि अन्य देश भारत के सबूतों को स्वीकार करके पाकिस्तान को आतंकवादी देश मान चुके हैं।

कश्मीर के पुलवामा हमले की लपटें आज पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। 50 से ज्यादा देशों ने भारत की फौज पर इस आतंकवादी हमले पर दुःख प्रकट करते हुए पाकिस्तान को इसके लिए दोषी करार दिया है। इजराइल ने भारत को आतंकवाद से अपना बचाव करने के लिए बिना शर्त मदद की पेशकश की है। जैश–ए–मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगवाने के लिए फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लायेगा। अमेरिका इस आतंकवादी हमले की पहले ही निंदा कर चुका है और इसके लिए भारत की हर मदद करने को तैयार है।

पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से व्यापार में 'सबसे तरजीही राष्ट्र' का दर्जा वापिस ले लिया है। इससे पाकिस्तान को 50 करोड़ डालर का नुकसान होगा। इसके अलावा भारत ने कश्मीर से जलालाबाद बस सेवा बंद कर दी है, साथ ही पाकिस्तान को जिन भारत की तीन नदियों का पानी सिन्धु जल समझौता के अन्तर्गत दिया जाता है, वह भी अब बंद कर दिया जायेगा। इससे पुलवामा की लपटों से पाकिस्तान प्यासा मरेगा, साथ ही विश्व बिरादरी भी पाकिस्तान की आर्थिक मदद को रोककर उसे कंगाल बना देगी। फिर पाकिस्तान कटोरा लिए पैसे–पैसे के लिए भीख मांगेगा। इससे उसकी 70 साल की अकड़ धरी की धरी रह जायेगी।

– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

क्या है भारत की संस्कृति?

– दिलीप सिंह परते

कई महान विद्वानों से सुना है।
दुनिया की संस्कृति से सर्वोपरि, भारत की संस्कृति।
हमने इस धरती की संस्कृति में अपना सूरत गढ़ा है।
क्या आपने देखा है! क्या है भारत की संस्कृति ?
क्या ज्ञानवान और धनवानों की पुस्तैनी जागीर है ?
क्या देश के नेताओं और अभिनेताओं का जमीर है ?
क्या फिल्मी पर्दे की रंगीन, नंग–धड़ंग तस्वीर है ?
क्या घोटालों, हवालों की कालिख लगी तस्वीर है ?
क्या दगाबाजों, चोरी, डकैती, लूटमार, उठाईगीर है?
क्या आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की जंजीर है?
क्या अंधी, गूंगी, बाहरी, कपटी राजनीतिक वजीर है?
क्या आपने देखा है ! क्या है भारत की संस्कृति ?
क्या आंख में पट्टी न्याय की देवी का सभागार है ?
क्या दहेज रूपी दानव के दलालों का खुला बाजार है?
क्या इंसानियत को मिटाने का राजनीतिक हथियार है?
क्या दुःख, दरिद्रता की बंजर भूमि पर उगा खरपतवार है?
क्या गरीबी, भुखमरी, और लाचारी से मची हाहाकार है?
क्या प्राकृतिक आपदा, विपदा के अंधेरे का चीत्कार है?
क्या अपहरणकर्ता, तस्करों के कारनामों का पुरुष्कार है?
क्या आपने देखा है ! क्या है भारत की संस्कृति ?
क्या ये शहरी गन्दी नाली की उपजी हुई पैदावार है?
क्या महानगरों की जिश्मफरोशी का गर्म बाजार है?
क्या चौराहों में खुले मदिरालय, बार का दरबार है?
क्या पानठेलों में सुलग रही जुल्म, जहर का सिंगार है?
क्या आधुनिक पॉपमंच प्रसिद्ध अधनंगा किरदार है?
क्या वैज्ञानिक, अश्लील शिक्षा का सैक्स नेट संचार है?
क्या भारतीय संविधान, विधि–विधान का गुनहगार है?
क्या आपने देखा है ! क्या है भारत की संस्कृति ?

सूपर गोडवानाहाहा की प्राकृतिक समृद्धि का आधार है।
आदिम मानव, जल, जंगल, जमीन एवं संस्कृति का वारिसदार है।
मोहन जोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा की द्रविण मूल सभ्यता का सृजनहार है।
अप्राकृतिक, काल्पनिक आस्था पर वास्तविक आस्था का प्रहार है।
प्रकृति और प्राणियों में निश्छल प्रेम से निकली स्वच्छंद पुकार है।
वसुंधरा की गोद में बिखरी सुनहरी, हरी–भरी प्राकृतिक श्रृगांर है।
प्राकृतिक संवेदनाओं की बहती बयार ही मानवीय है।
यह गांव के कछार पर उगी हुई, छुईमुई सी मुरझाती है।
पुष्प, लता, जल, जंगल, झरने, पहाड़ों के संग मुस्कुराती है।
सेमल पर गूंजते भौंरे, तितलियों के संग गुनगुनाती है।
लहलहाती खेत के मेढ़ पर बैठ खुशी के गीत गाती है।
गलियारों में गाय के बछड़ों की तरह स्वच्छंद मछराती है।
पानिहारिनों की ठिठोली से ताल–पनघट खिलखिलाती है।
गांव की सुबह सुनहरी धूप में मिट्टी की खुसबू आती है।
किसान अपने दिनभर के परिश्रम की थकान मिटाता है।
किंगरी, मांदर की सुर–ताल पर पुरा चौपाल झूमकर गाता है।
रीना, सुआ, दादरा, करमा का करताल खनक जाता है।
ढोलक की थाप पर सपदंश नाशक गीत गाया जाता है।
शक्ति के श्रृगांर पर अंतस का सद्भाव जगाता है।
वानस्पतिक औषधि के सेवाधर्म का हमने खोला खाता है।
बरसों से लेकर आज भी उसी परिवेश से हमारा नाता है।
जब चलती है संस्कारों की बयार, बड़, पीपल, अमराई से।
गांव के मेढ़ो, बूढ़ादेव, खीलामुठवा, खेरमाई से।
फूट पड़ती है स्वरलहरी, मानस अंतस की गहराई से।
उतर आते हैं सारे रिश्ते–नाते, पहाड़ पवर्तों की तराई से।
चरवाहे की बांसुरी धुन, सुन आते गाय–बछुरा वनराई से।
विनती है माता रायतार जंगों, कलि कंकलिन दाई से।
बचाए रखना सांस्कारिक गर्भ को, पाखंडियों की चतुराई से। •

अम्बेडकरत्व

हमारे पूर्वज
नहीं जानते थे
उनका हरामीपन
यह कि–
मीठी बोली के जहर से भी
कहीं अधिक
खतरनाक होती हैं
चातुर्थ–वर्ण–व्यवस्था की दर्रे
जहां से आसान है
सम्भव है
यहां से वहां
वहां से यहां
कहीं भी आना–जाना।
इतिहास के
शर्मनाक पन्नों में
दर्ज है–तुम्हारी
.....षड्यन्त्रकारी
नीतियां
चार सौ बीसी
धोखाधड़ी अन्तोगत्वा
द्रविड़ अजित
आर्य विजित
लेकिन याद रखना
जब कभी
वर्ण–व्यवस्था का प्रकार
कसाव को जन्म देगा
और
जातियों के
ऊग आयेंगे–हाथ–पांव
तब
अवशेष अम्बेडकरत्व
अवश्य आयेगा
संविधान के निमित्त
हम सब तक।

–डॉ. सुरेश उजाला

पृष्ठ 1 का शेष ..... गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देना भारतीय संविधान का उल्लंघन

जो 'दलित' शब्द पर पाबन्दी लगाने चली थी, उसने सवर्णों को मान्यता देकर अब दलितों की शक्ति को भी स्वीकार करते हुए उस पर उसने मोहर लगा दी है। पर यह अजीब बात है कि भाजपा सरकार ने गरीब सवर्ण की स्वयं परिभाषा करते हुए उसकी वार्षिक आय की सीमा 8 लाख रुपये रखी है जबकि आयकर विभाग ढाई लाख रुपये से ऊपर वार्षिक आय वाले को गरीब न मानकर उसे अमीरों की श्रेणी में रखकर उससे 'इनकम टैक्स' वसूलता है। भाजपा की मोदी सरकार की यह दोगला मापदंड कैसे है? क्या मोदी सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में सवर्णों के वोट पाने के लिए सारे संवैधानिक नियमों को दरकिनार किया है। मुझे आशा है कि यह सम्मेलन भारतीय संविधान प्रदत्त दलितों के सामाजिक न्याय पर अब तक मिले अधिकारों पर गहन विचार करेगी क्योंकि भारतीय संविधान के मूल रूप को बचाना जरूरी है। भारतीय संविधान की अक्षुण्णता पर बाबा साहब डा. अम्बेडकर की अमरता टिकी है।

इस नेशनल सेमिनार में मुख्य वक्ता थे बैकवर्ड क्लास कमीशन, कर्नाटक राज्य के चेयरमैन–श्री एच. कन्थाराज। उन्होंने नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को असंवैधानिक, अनुचित और आधारहीन बताते हुए इसे वोट की राजनीति से प्रेरित बताया। श्री एच. कन्थाराज ने कहा कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। वह सिर्फ देश के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (दलितों) और पिछड़ी जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों व निर्वाचन में (कुल 49.5 प्रतिशत) आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। सवर्णों को गरीबी के आधार पर यह जो 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का संविधान में 103वां संशोधन किया है, वह संविधान की सीमा व प्रावधान के खिलाफ है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की खुलमखुल्ला अवमानना है, जहां उसने आरक्षण की सीमा 49.5 फीसदी तय की हुई है।

चेयरमैन एच. कन्थाराज ने कहा कि सरकार के पास अब तक न तो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आंकड़े हैं और न ही आर्थिक आधार पर पिछड़े गरीब सवर्णों का कोई निश्चित प्रमाणिक आंकड़े। ऐसे में खाली कल्पना के आधार पर कोई आंकड़ा तय करके उस आधार पर आरक्षण देना अतार्किक, आधारहीन, बेतूका, न्याय–असंगत और असंवैधानिक है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा भारतीय संविधान की धारा 340 के अन्तर्गत भारत सरकार को एक कमीशन बनाकर सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर पिछड़े लोगों की गणना कराना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/ जन–जाति व पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं और निर्वाचन में समुचित आरक्षण मिल सके।

इस नेशनल सेमिनार में उपरोक्त विषय पर अपने विचार प्रगट करने वाले थे–सर्वश्री एच.एम. रेवन्ना (विधायक), प्रो. मुजलार असादी (बिजापुर युनिवर्सिटी), एस.आर. महेश (पर्यटन मंत्री, कर्नाटक), जनार्दन (जन्नी), के. दीपक (पत्रकार), डा. वाई. डी. राजन्ना (साहित्यकार), प्रो. के.एस. भगवान (साहित्यकार), प्रो. दयानन्द मान (राजनीतिक विचारक)। सभी वक्ताओं ने सरकार के गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने को असंवैधानिक और सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर तुरन्त रोक लगाने की मांग की।

अकादमी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. जय सुमनाक्षर ने अकादमी के कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष श्री चेलुवाराजू, उपाध्यक्ष श्रीमती एन.डी. वेंकम्मा, के.एस. शिवरामू, प्रदेश महामंत्री श्री एन.एम. कुन्दरगी, संगठन मंत्री डा. सी. वेंकटेश और नेशनल सेक्रट्री श्री सुभाष कानडे को सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर अकादमी की दक्षिण भारत राज्यों की समिति के महामंत्री बाबू जार्ज वटोली, संगठन मंत्री डा. जितेन्द्र मनु, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री जी. धनसेकर, कर्नाटक अकादमी के ट्रेजरार डा. के.एस. शिवराजू को अकादमी को आगे ले जाने व सम्मेलन को सफल बनाने के उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शाल, शील्ड, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस सम्मेलन के मुख्य संयोजक श्री सुभाष कानडे ने सभी अतिथियों वे श्रोताओं का उनकी सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। अन्त में 'जन गण मन' राष्ट्र गान के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। •

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9

हिमायती
4 / मार्च (प्रथम), 2019 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 मार्च, 2019

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 26 फरवरी, 2019

फूले, साहूजी और अम्बेडकर–दलित मुक्ति अभियान की प्रेरणा के जनक

• स्वदेश कुमार

भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाली राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल, 1873, छत्रपति शिवाजी के पोते दलितों को समान अधिकार एवं सन् 1902 में आरक्षण देने वाले राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म 26 जून, 1874 एवं बहुजनों के मसीहा एवं ज्ञान के सागर बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ। इन तीनों महापुरुषों का भारत के महाराष्ट्र प्रान्त की भूमि पर जन्म हुआ था। फूले जाति से माली, साहूजी महाराज कुर्मी एवं बाबा साहब महार जाति के थे। तीनों ही जातियां शूद्र में गिनी जाती है। तीनों महापुरुषों ने अंग्रेजी माध्यम से विदेशों में शिक्षा प्राप्त की। उन पर उदारवादी पश्चिमी चिन्तकों का प्रभाव था। फूले, थामस पेन की पुस्तक 'राईटस आफ मेन' से प्रभावित थे। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रो. जान डेवी से, छत्रपति शाहूजी अपने गुरु स्टुअर्ट फ्रेजर से प्रभावित थे। तीनों ने ब्राह्मणों के द्वारा अपमान भोगा था। शाहूजी महाराज ने अपने 28 वर्ष के शासनकाल में क्रान्तिकारी सामाजिक सन् 1902 में उन्होंने शासकीय आदेश जारी करके बहुजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया।

जब न्यायमूर्ति गोविन्द राना डे ज्योतिबा फूले के पास आये, उनसे आजादी के आन्दोलन में शामिल होने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दोहरे गुलाम हैं, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम है, हम ब्राह्मण एवं अंग्रेजों दोनों के। अंग्रेजों के भारत में रहते हुए हमें ब्राह्मणों से आजादी का आन्दोलन चलाना होगा। यह मौका है, इसे बेकार न जाने दे। चितपावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक कोल्हापुर में छत्रपति शाहूजी के पास जाकर कहा कि आजादी के आन्दोलन में शामिल हो। उन्होंने मना किया एवं तिलक से कहा कि आप पहले हमारे लोगों की आजादी के आन्दोलन में शामिल हों। लाला लाजपत राय बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए, आजादी के आन्दोलन में शामिल होने के लिए कहा। बाबा साहब ने मना करते हुए कहा कि जिन लोगों की बातें गुलामी में सहन नहीं होती है, आजाद भारत में इनकी लातें खानी सांस तक सामाजिक गैर बराबरी का, धर्मवाद का, अन्ध विश्वास एवं पाखण्ड का समर्थन करते रहेंगे। **बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर स्वेच्छा से नहीं किये थे, बल्कि वह गांधी जी की जान बचाने की मजबूरी में किए थे।** बहुजन अब नहीं चाहेंगे कि वे सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत भी रहे, हिन्दुत्ववादियों के साथ भी रहे और अवसरों की समानता भी प्राप्त न करे, वंचित रहे एवं सन्तुष्ट भी रहे, अत्याचार सहे, सिर उठाकर न जिए।

शाहूजी महाराज ओ.बी.सी. एवं दलितों के महानायक एवं मसीहा थे। उन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। महिलाओं के लिए शिक्षा सहित कई प्रगतिशील योजनाएं लागू की। उन्होंने गरीबी, दलितों, किसानों, मजदूरों, दबे–कुचले लोगों को प्रशासन में भागीदारी दी। उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओ.बी.सी. नायकों जैसे साहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद आदि ने दलित आन्दोलन के जरिए धार्मिक वर्चस्व तोड़ने का भरसक प्रयास किया, तब एक राजा मुझसे मिलने, मेरे घर पर आया है। बाबा साहब ने कहा कि आप राजा हो, छत्रपति हो, आपने संदेश भेजा होता तो मैं खुद ही मिलने कोल्हापुर आ जाता, आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई? शाहूजी ने जवाब दिया कि हम किस बात के राजा? हम तो परम्परा से बने हैं, परम्परा से तो कोई भी राजा बन सकता है। आप ज्ञान के राजा हो। ज्ञान का राजा हर कोई नहीं बन सकता। आप बैरिस्टर हुए हो, अब कल हम आपके सम्मान में रैली निकालने वाले हैं, आप कोल्हापुर आइये। इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है कि एक राजा ने एक अछूत बैरिस्टर की रैली निकाली, उन पर फूल–माला बरसा कर उनका अभिनन्दन किया।

दलित हितैषी शाहूजी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के घनी थी। उस समय जातिवादी व भेदभाव सम्पूर्ण भारत में एवं महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्टेट में चरम सीमा पर था। शाहूजी ने इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए रचनात्मक रास्ते अपनाएं। भाषण देने की जगह वे काम से मिसाल कायम करते थे। जाति के आधार पर **डिप्रस्ट और सप्रेस्ड वर्ग के लोगों को उच्च जाति के हिन्दू नेताओं के नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को अपना नेता बनाना चाहिए, जिनके पास लोकतान्त्रिक उद्देश्य ना हो? इन समुदायों के लोगों को अपने समुदाय में से ही नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए।**

दलित कार्यकर्ता मार्टिन मैकवान ने कहा कि दलितों के लिए देश नहीं, दलितों को खुद लड़ना होगा। क्या जातीय हिंसा और भेदभाव से देश और इसे भुगतने वाले दलित दोनों बराबर प्रभावित होते हैं? क्या देश के सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करने के मामले में भारत 70 सालों में कुल बेहतर कर पाया या हालात वैसे ही है? दलितों की होने वाली मौतें देश भक्ति के खाते में दर्ज नहीं होती। दलित अगर बराबर के नागरिक बन गए तो सवर्णों की दशा क्या होगी? यू.पी.ए. की तुलना में एन.डी.ए. में अधिक सांसद है, दलितों की बात रखने के लिए मौजूद है क्यों नहीं वे रखते? **सवर्ण आरक्षण हटाने का अभियान तो चला रहे हैं परन्तु**

और कानूनी सुधार किये जिसका दूरगामी प्रभाव वंचितों के उत्थान पर पड़ा। उन्होंने फूले से जो मशाल ली थी वह अम्बेडकर को सौंपी। जब साहूजी ने सन 1894 में कोल्हापुर राज्य की सत्ता संभाली, उन्होंने पाया कि उनके प्रशासन पर ब्राह्मणों का एकाधिकार है, जो ब्रिटिश राज से भी अधिक खतरनाक है। महात्मा फूले एवं सावित्री बाई फूले द्वारा चलाये जाने वाला सत्य शोधक समाज की गतिविधियां एवं प्रभाव कमजोर होता जा रहा था। ब्राह्मणों को चुनौती देने वाला कोई जमीनी आन्दोलन नहीं था। वे एक तरह से अंग्रेजी के जागीदार थे एवं अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहते थे, दूसरी तरफ ब्राह्मण उन्हें राजा कम शूद्र ज्यादा मानते थे। राज्य सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद उनका ब्राह्मणों से वेदोक्त मुद्दे पर टकराव हो गया। सन 1889 में जब वे स्नान कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि राज पुरोहित ब्राह्मण, जिसका कर्तव्य था कि वह राजा के लिए वैदिक मन्त्रोचार करे, वह धोखा दे रहा था। वह वही कर रहा था जो शूद्रों के लिए किया जाता है अर्थात वह वैदिक मन्त्रों के स्थान पर पुराणों के मन्त्र पढ़ रहा था। वे क्रोधित हुए, ब्राह्मणों के जातिगत अहंकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पड़ेगी। इसलिए हमें अपनी आजादी का आन्दोलन चलाना चाहिए। डा. अम्बेडकर ने कहा था कि जाति श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। जाति के सम्बन्ध में बाबा साहब की विचारधारा को स्वीकार करने से हिन्दू धर्म, दर्शन तथा समाज प्रतिक्रियावादी सिद्ध होता है। इसलिए गैर दलित समाज फूले, अम्बेडकर को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाते। फूले, साहूजी एवं अम्बेडकर दलित मुक्ति अभियान की प्रेरणा हैं। वे दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं महापुरुष है, उनका विरोध ब्राह्मणवादी व्यवस्था से था। उनका उद्देश्य मानवतावादी, समानतावादी, समाज की स्थापना करना था। जहां–जहां हिन्दुत्व है, पुरोहितवाद है, जातिवाद है उत्पीड़न है वहां–वहां अम्बेडकर के दर्शन एवं विचारों की जरूत है। फूले, साहूजी एवं बाबा साहब की प्रेरणा आदर्श, आस्था, निष्ठा, प्रतिबद्धता तथा दर्शन की जरूरत सम्पूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि जहां–जहां जातीय अनुवांशिक ब्राह्मणी सत्ता का उत्पीड़न है, पूंजीवाद है वहां–वहां उनकी जरूरत है। किसी देश का शासन राजनेताओं द्वारा नहीं चलता, वहां के पूंजीपत माफिया, डकैत, सफेद पोशाधारी लोगों की भूमिका अहम् होती है। ब्राह्मणवादी अपनी अन्तिम समाज में जाति धर्म सम्प्रदाय की श्रेष्ठता के बोझ तले ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम थी, इसको ध्वस्त करने की आवाज उठायी। शाहूजी महाराज ने ज्योतिराव फूले एवं सावित्री बाई फूले के शिक्षा अभियान का सपना साकार करवाया था। दलित हितैषी कोल्हापुर नरेश ने **1920 में मनमाड में दलितों की विशाल सभा में सगर्व घोषणा करते हुए कहा था–''मुझे लगता है अम्बेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी गुलामी की बेडिया काट डालेंगे।'' उन्होंने दलितों के मुक्तिदाता की महज जुबानी प्रशंसा नहीं की बल्कि उनकी अधूरी पड़ी विदेशी शिक्षा पूरी करने तथा दलित मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।**

डॉ. अम्बेडकर के बैरिस्टर बनाने के बाद राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज उनसे मिलने स्वयं मुम्बई के डबक कालोनी में उनके घर गए। उन्होंने बाबा साहब के घर के बाहर खड़े साथी से कहा कि जाओ डा. अम्बेडकर जी से कहो कि मैं उनसे मिलने आया हूं। बाबा साहब जब बाहर आये, साक्षात शाहूजी महाराज को घर के बाहर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेदभाव को दूर करने की उच्च कोटि की सोच रखते थे। उनका अन्दाज बहुत निराला था। कई बार वे जातिवाद पर सीधे बार करते, कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते तो कई बार मजाक–मजाक में अपनी बात कह जाते थे। उस दौर में किसी दलित के छू जाने से सवर्णों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। दलितों को मन्दिर जाने, सार्वजनिक स्थानों पर रोक थी। शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर के भाऊसिंह जी रोड पर गंगाराम कांवले को आर्थिक सहायता देकर चाय की दुकान खुलवाई थी। एक दिन महाराजा गंगाराम की दुकान की चाय पीने पहुंच गये। उनके द्वारा चाय पीने की खबर पूरे राज्य में फैल गयी। इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। गंगाराम से महाराज ने कहा कि सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि सोडा बनाने की मशीन भी खरीद लो, दुकान पर अपने नाम का बोर्ड भी लगवाओ। **अपनी मृत्यु के दो साल पहले 1920 में शाहूजी ने नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक में न सिर्फ हिस्सा लिया, उन्होंने एक दलित से चाय बनवाकर पी। ऐसा उन्होंने कई बार किया था। शाहूजी महाराज ने कहा था कि जातिवाद के लिए नहीं, शाहूजी महाराज ने अपनी आम बैठक में कहा था कि मैं यहां राजा के रूप में नहीं हूं बल्कि उन लोगों के लिए मित्र हूं जिनकी दयनीय स्थिति पत्थर के दिलवाले व्यक्ति को भी पिघला देगी। उन्होंने गैर ब्राह्मण पुरुषों के मन्दिर के पुजारी के रूप में धार्मिक स्थानों के गणों को घोषित करने के लिए कानूनों को पारित किया। उन्होंने कुलकर्णी प्रणाली को समाप्त कर शंकराचार्य को धर्म निर्पेक्षता की घण्टी बजाने का आदेश दिया, उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। •**

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक :

हिमायती

बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9

मो. 9810278936,

फोन : 011-27421449

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009